>

Title: Need to reduce the height of Panchana dam in Rajasthan as per sanctioned limit and to stop proposed Anicut/Surface barrier.

श्रीमती सीमा उपाध्याय (फतेहपुर सीकरी): मेरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के बाह विधानसभा में उगन नदी राजस्थान करौली से प्रवेश करती है और खेरागढ़ एवं गांव कस्बों से होते हुए, अरनौता पुल के पास यमुना में मिल जाती है। यह नदी जब प्राकृतिक रूप से बहती थी तो क्षेत्र के किसान पानी को अपने खतों में इस्तेमाल कर अच्छी फसल उगाते थे, पर इस नदी पर राजस्थान सरकार ने पाँचना बांध बनाकर नदी के प्राकृतिक बहाव को रोक दिया जिससे फतेहपुर सीकरी में पानी आना बिलकुल बंद हो गया। इसके कारण स्थानीय किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। वर्तमान में फतेहपुर सीकरी में इसका हाल यह है कि उगी झाड़ियों में आग लग रही है और उस आग की तपिश में स्थानीय किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के जोधपुर खण्डपीठ ने अपने निर्णय 2 अगस्त 2004 को नदी के पुराने स्वरूप 15 अगस्त 1947 की सिति के अनुसार बहाल करने का आदेश दिया था परंतु इस आदेश का भी पालन राजस्थान सरकार नहीं कर रही है।

केंद्र सरकार ने राजस्थान में पाँचना बांध की उँचाई मातृ 685.50 लाख घन फीट पानी स्टोरेज हेतु स्वीकृति दी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बांध को अत्यधक उँचा बना दिया है जिससे 2100 लाख घन फीट पानी का भण्डारण इस बांध में होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि फतेहपुर सीकरी के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है।

इस नदी पर करौली में श्री महावीर जी के पास एनकीट/सर्फेस बैरियर प्रस्तावित है यदि इसका निर्माण हो जाता है तो स्थिति और खराब हो जाएगी।

मेरी मांग है कि केंद्र राजस्थान सरकार को पांचना बांध की स्वीकृत उँचाई से ज्यादा उँचाई को कम करने का निर्देश दें और प्रस्तावित एनीकेट/सर्फेस बैरियर का निर्माण करने हेतु कदम उठाएं।